'गणतंत्र दिवस–2017' के अवसर पर

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

(गाँधी मैदान, पटना)

भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों,

राष्ट्र के '68वें गणतंत्र दिवस' के अवसर पर आप सबको एवं समस्त बिहार–वासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

आज ही के दिन हमारा देश एक गौरवशाली गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ तथा हमने अपने देश के संविधान को अपनाया था। इसी संविधान के माध्यम से एक संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की नींव रखी गई तथा नागरिकों के लिए न्याय, समानता, बंधुत्व, धर्म–निरपेक्षता एवं गरिमामय जीवन की वैधानिक परिकल्पना की गई। यह संविधान हमारा मार्गदर्शक है, जिसके सहारे देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पनायें पूरी हो रही हैं।

राज्य सरकार ने सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के लिए सार्थक प्रयास किये हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत् होने के साथ–साथ, आर्थिक प्रगति पर आधारित है। बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिये 'सुशासन के कार्यक्रम' (2015–2020) निर्धारित कर उसे सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया है।

बिहार में 'कानून का राज' स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है और यही व्यवस्था आगे भी जारी है। बिना किसी भेद–भाव के कानूनी प्रावधानों का अनुसरण कराते हुए अपराध–नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है। पुलिस–तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु अनेक कदम उठाये

गये हैं, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें। यह सरकार के संकल्प का ही परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण है।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध 'जीरो टॉलरेन्स' की नीति पर राज्य सरकार की मुहिम जारी है। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध प्रभावकारी कार्रवाई की गयी है। प्रशासन के निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या के निदान के लिए 'लोक सेवा का अधिकार कानून' लागू है। अब तक 14 करोड़ 78 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर नागरिकों को विभिन्न लोक–सेवाएँ एक नियत समय–सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई हैं।

नागरिकों को कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाने की नीति के अंतर्गत 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम' लागू किया गया है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है, जहाँ नागरिकों को उनके परिवाद पर सुनवाई के साथ–साथ, नियत समय–सीमा में इसके निवारण का भी कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। इस अधिनियम की सफलता इसी बात से साबित होती है कि अल्प अवधि में अब तक 89,937 (नवासी हजार नौ सौ सैंतीस) मामलों की सुनवाई कर निष्पादन किया जा चुका है।

राज्य सरकार ने प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचनाओं का सूत्रण इस प्रकार से किया है कि हर क्षेत्र एवं हर वर्ग का सम्यक् विकास हो सके। राज्य ने ना केवल उच्च विकास–दर हासिल की है, बल्कि बहुसंख्यक गरीबों को गरीबी–रेखा से ऊपर उठाया है। यह दर्शाता है कि राज्य के आर्थिक विकास में सभी लोगों की भागीदारी है।

मानव संसाधन की क्षमता–संवर्द्धन के लिए शिक्षा पर शुरू से ही ध्यान केन्द्रित किया गया है। नये प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने, नामांकन में वृद्धि लाने, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने, प्राथमिक

विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने, वंचित वर्गों को स्कूल में दाखिला कराने एवं लड़के–लड़कियों के बीच शिक्षा के अंतर को दूर करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। पोशाक, साईकिल एवं छात्रवृत्ति योजनाएँ छात्र–छात्राओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हर ग्राम पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के नीतिगत फैसले के आलोक में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से आच्छादित किया जा रहा है। अब हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं।

बिहार वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार किया है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल एक क्रियाशील स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में कार्यरत है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में द्वितीय चरण के सुधार पर काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को चिकित्सा के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े और उन्हें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ राज्य में ही मिल सकें।

बिहार की 89 (नवासी) प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और जनसंख्या का 76 (छिहत्तर) प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। राज्य सरकार द्वारा 'कृषि रोड–मैप' लागू किया गया है, जिसके जरिये कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का विकास हो रहा है। यह एक इन्द्रधनुषी क्रांति है। योजनाओं का लाभ उठा कर हमारे मेहनती किसान चावल, गेहूँ एवं मक्का की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि कर राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गये हैं। इस वर्ष राज्य में चावल का रिकार्ड उत्पादन दर्ज किया गया है। किसानों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ–साथ, उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी दिलाया गया है, जिससे उनकी माली हालत सुधरी है। धान–अधिप्राप्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य के पैक्स एवं व्यापार–मंडल के माध्यम से किसानों से धान–अधिप्राप्ति की जा रही है। अधिप्राप्ति कार्य को पूर्ण पारदर्शी एवं गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए इच्छुक कृषकों के ऑनलाईन

निबंधन की व्यवस्था की गई है। इस योजना में वैसे कृषकों को भी शामिल किया गया है, जो अन्य की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं।

राज्य सरकार ने समावेशी विकास के लक्ष्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। सरकार की रणनीति उन सभी नागरिकों को सशक्त बनाने की रही है, जो तुलनात्मक रूप से वंचित हैं और हाशिए पर हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिपिछड़े एवं पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा बच्चों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास पर बल देते हुए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

बिहार देश का बहु आपदा–प्रवण राज्य है। राज्य सरकार आपदा–पीड़ितों को राहत एवं बचाव की हरसंभव मदद पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। विभिन्न आपदाओं के लिए राज्य सरकार ने मानक संचालन–प्रक्रिया गठित की है। आपदा–रिस्पांस में मानदंड स्थापित करने वाला बिहार देश का अग्रणी राज्य है। 'सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट' के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030)' तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है।

'सुशासन के कार्यक्रम' (2015–2020) के तहत, विकसित बिहार के 7 निश्चय के मिशन–मोड में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु 'बिहार विकास मिशन' का गठन किया गया है। संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए नवीन एवं बेहतर कार्य–प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा सात निश्चयों से संबंधित सभी योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। आगामी 04 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन भी प्रारंभ कर दिया गया है।

राज्य सरकार महिला सशक्तीरण के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है और यह सरकार की नीतियों का अभिन्न अंग है। इस निमित्त राज्य में 'महिला सशक्तीकरण नीति' लागू की गयी है।

सरकार ने अपने एक निश्चय 'आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार' के तहत राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु राज्य सरकार कृत–संकल्पित है। गाँव एवं शहरों के आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में सकारात्मक बदलाव आया है। आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ गाँव एवं शहरों तक पहुँची हैं, अब हम चाहते हैं कि यह सुविधा सभी घरों को सुलभ हो। सरकार के दो निश्चय– क्रमशः 'हर घर, नल का जल' तथा 'शौचालय निर्माण, घर का सम्मान' के अंतर्गत योजनाओं का शुभारंभ 27 सितम्बर, 2016 को किया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से गाँव हो या शहर सभी घरों को नल का जल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यह भागीरथ प्रयास, बिहारवासियों के समेकित सहयोग से पूरा किया जायेगा। 'लोहिया स्वच्छता अभियान' के तहत अब तक 01 अनुमंडल, 09 प्रखंड एवं 162 पंचायतें 'खुले में शौच' से मुक्त हो चुके हैं।

बिहार की नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल–विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए सक्षम बनाने के लिए 'आर्थिक हल, युवाओं को बल' निश्चय के तहत समेकित कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य–योजना के तहत तीन योजनाओं, यथा –'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना', 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं–सहायता–भत्ता योजना' एवं 'कुशल युवा कार्यक्रम' का शुभारम्भ 'गाँधी–जयन्ती' (2 अक्टूबर, 2016) के अवसर पर किया गया है।

ये तीनों योजनाएँ जिला मुख्यालय में निर्मित जिला निबंधन एवं परामर्श–केन्द्र के माध्यम से संचालित हो रही हैं। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवा अपनी इच्छानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 'स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना', बीस से पच्चीस वर्ष के आयु–वर्ग के युवा, जो अध्ययनरत नही हैं रोजगार तलाशने में सहायता हेतु 'स्वयं सहायता भत्ता योजना' तथा जो मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हों,

भाषा, संवाद, व्यवहार–कौशल एवं बुनियादी कंप्यूटर–ज्ञान के लिए 'कुशल युवा कार्यक्रम' का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत हो रहे हैं। अब तक 3 लाख से अधिक युवाओं ने ऑनलाईन पंजीकरण कराया है। प्रखण्डों में कौशल– विकास–केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहाँ 'कुशल–युवा–कार्यक्रम' का संचालन होगा। अब तक 185 केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है।

राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार स्टार्ट–अप नीति–2016' को मंजूरी देकर 500 करोड़ रूपये के 'वेंचर कैपिटल' का प्रावधान किया गया है और उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। सरकार का युवाओं के लिए सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में 'वाई–फाई' के माध्यम से निःशुल्क इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का जो निश्चय है, उसे अगले माह पूरा किया जा रहा है।

सरकार का एक और निश्चय –'अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें' –के तहत राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों के आपूर्ति–पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से, प्रत्येक जिला में जी.एन.एम. संस्थान, पैरा–मेडिकल इन्स्टीच्यूट, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना तथा प्रत्येक अनुमण्डल में ए॰एन॰एम॰ संस्थान एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित कर योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। राज्य में पाँच नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए बेगूसराय, वैशाली, सीतामढ़ी, भोजपुर एवं मधुबनी जिले का चयन किया गया है। उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्णियाँ, पाटलिपुत्र एवं मुंगेर विश्वविद्यालयों तथा पटना में 'बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय' की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में 28 अक्टूबर, 2016 को सरकार द्वारा एक और निश्चय 'घर तक पक्की गली–नालियाँ' का शुभारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत गाँव एवं शहरों में 'गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना' एवं 'ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना' का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

बिजली की स्थिति को सुधारने का काम राज्य सरकार ने चुनौती मानकर स्वीकार किया और इसमें उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। राज्य में अधिकतम विद्युत–आपूर्ति 3 हजार 7 सौ 69 (उनहत्तर) मेगावाट पहुँच गयी है। उत्पादन, संचरण, उपसंचरण एवं वितरण–प्रणाली के सुधार हेतु अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। वर्तमान में राज्य के 39(उनतालीस) हजार 73 (तिहत्तर) गाँवों में से 38 (अड़तीस) हजार 56 (छप्पन) गाँवों में विद्युत–संपर्कता उपलब्ध है। शेष गाँवों में दिसंबर, 2017 तक विद्युत–संपर्कता उपलब्ध करा दी जायेगी। दुर्गम क्षेत्रों में स्थित राज्य के 211 गाँवों को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत–सम्पर्कता प्रदान की जायेगी। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुये 15 नवम्बर, 2016 को राज्य सरकार के 'हर घर बिजली लगातार' निश्चय का शुभारम्भ किया गया है। इस निश्चय के अंतर्गत वर्ष 2018 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

बिहार में वृहद, जिला एवं ग्रामीण सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, अब राज्य के सुदूर क्षेत्र से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए कार्य–योजना बनाकर निर्माण–कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नई आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ–साथ, पथों के अनुरक्षण का भी कार्य किया जा रहा है।

राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016' लागू की गई है। औद्योगिक निवेश को अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से 'बिहार औद्योगिक निवेश

प्रोत्साहन अधिनियम, 2016' को लागू किया गया है। एकीकृत क्लीयरेंस–प्रणाली के तहत औद्योगिक इकाइयों के क्लीयरेंस एवं अनुमोदन के लिए ऑन–लाइन–प्रणाली विकसित की गई।

बिहार में पूर्ण मद्य–निषेध लागू कर राज्य में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गयी है। संपूर्ण बिहार में इसके प्रति जनसामान्य, विशेषकर महिलाओं, युवाओं एवं बालक– बालिकाओं में काफी उत्साह है। शराबबंदी के अन्य प्रयासों की तुलना में, बिहार सरकार का यह प्रयास अनूठा है, क्योंकि मजबूत तंत्र और सामाजिक भागीदारी दोनों इस अभियान के अभिन्न अंग हैं। सभी के सहयोग से शराबबंदी एक सामाजिक अभियान का रूप ले चुका है। पूर्ण शराबबंदी से समाज अधिक सशक्त, स्वस्थ एवं संयमी हो रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव बिहार की प्रगति में परिलक्षित होगा। शराबबंदी के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा पारिवारिक हिंसा, घरेलू कलह एवं सामाजिक अपराध में कमी आई है। 21 जनवरी, 2017 को 3 करोड़ से अधिक बिहार–वासियों ने लगभग 11 हजार 400 किलोमीटर लंबी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक राज्यव्यापी मानव–श्रृंखला बनाकर शराबबंदी एवं नशा–मुक्ति के पक्ष में अपने संकल्प का प्रकटीकरण किया है। इतनी व्यापक भागीदारी, उत्साह एवं एकता प्रदर्शित कर बिहार–वासियों ने सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में शराबबंदी एवं नशा–मुक्ति के पक्ष में सशक्त संदेश दिया है। यह एक विलक्षण घटना है, जिसने इतिहास रच दिया है।

लोकहित में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सम्बंध में नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने एवं सकारात्मक सुझावों के आलोक में आवश्यकतानुसार प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियों एवं कार्यक्रमों में आवश्यक सम्वर्द्धन करने हेतु दिसम्बर, 2016 से ''लोक संवाद कार्यक्रम'' आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त सकारात्मक सुझावों पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

बिहार गौरवशाली इतिहास और संपन्न विरासतों से परिपूर्ण है। विकास के साथ–साथ कला, संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र के संवर्द्धन पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। इसी जनवरी माह में सम्पन्न श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज के '350वें प्रकाश पर्व' का अभूतपूर्व आयोजन सदा अविस्मरणीय बना रहेगा। बापू के 'चंपारण–सत्याग्रह' की ऐतिहासिक स्मृति का सौंवा साल 'चंपारण–सत्याग्रह–शताब्दी–समारोह' के रूप में मनाया जायेगा तथा बापू के आदर्श एवं संदेशों को घर–घर तक पहुँचाया जायेगा।

सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे एवं बिहार विकास के शिखर तक पहुँचे। 'गणतंत्र–दिवस' के शुभ अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए आप अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें। 'गणतंत्र दिवस' के अवसर पर एक बार पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिन्द!

जय हिन्द!!

जय हिन्द!!!

***

प्रस्तुति–जन–सम्पर्क शाखा, राजभवन, पटना।